भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./09/08/2021/एफ0 सी0/2187 दिनांकः 28/01/2021

सेवा में,

✓ प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– जनपद देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत ऋषिकेश के आई0डी0पी0एल0 (वीरभद्र) परिसर कक्ष सं0–1 में पूर्व से चल रहे केन्द्रीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु 2.41 हे0 वन भूमि का नवीनीकरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में। (Online No. FP/UK/SCH/40755/2019)

सन्दर्भः–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 1646/FP/UK/ SCH/40755/2019 दिनांक 11-12-2020

महोदय,

उपर्युक्त प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव की के0एम0एल0 फाइल से यह प्रतीत होता है कि पहले से ही एक भवन (या स्कूल) वहाँ स्थित है। साथ ही अभिलेखों से यह देखा गया है कि प्रस्तावित भूमि को 1980 से पहले IDDL को lease पर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, प्रभागीय वनाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया है कि प्रस्ताव में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन है, लेकिन विस्तृत रिपोर्ट संलग्न नहीं की गई है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध किया जाता है कि वह मामले पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि वर्तमान स्थिति पर स्पष्टता हो और उसके अनुसार कार्रवाई की जा सके।

इसके अतिरिक्त मंत्रालय द्वारा दी गई गाईडलाईन्स के पैरा 11.11 के अनुसार पहाड़ी क्षेत्र में जहां गैर वन भूमि उपलब्ध नहीं हों वहाँ विद्यालय के निर्माण हेतु केवल 4 एकड़ अथवा 1.62 हे0 वन भूमि के प्रस्ताव को कुछ शर्तो के साथ स्वीकृति प्रदान की जा सकती है, जो निम्नानुसार हैः–

"***Construction of schools in hilly areas:*** *The Central Government has conveyed approval for construction of Government schools in hilly areas, over an area of 4 acres or 1.62 ha, where non-forests land is not available with the following conditions:-*

1. A certificate from the district Magistrate that non-forest land is not available for the school building/other building construction in the area.

2. Reserve forest land with density more than 0.4 shall not be allowed.

3. Felling more than 75 trees per hectare shall not be considered in any kind of forest.

4. Besides Compensatory Afforestation as per the Guidelines, the concerned authority should be ensured plantation in vacant areas, wherever available within the school premises."

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)